## कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरणट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पंत्राक 718 /विकास कार्य/नि0सू0/2025–26 दिनांक ...18/3/...2026

### ई–निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण में ए श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो/फर्मो जो आयकर, व्यापार कर/जी0एस0टी0 देहरादून में भी पंजीकृत हो, ऐसे फर्मो/ठेकेदारो से निम्न कार्य हेतु ई–निविदा दिनांक 09.04.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक टू–बिड (तकनीकी एवं वित्तीय) के आधार पर uktenders.gov.in की बैबसाईट के माध्यम आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ई निविदाओं की तकनीकी बिड निविदा समिति/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.04.2026 को 2.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। वित्तीय बिड हेतु अलग से सूचना प्रेषित की जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जायेगा। आगणन में अकिंत विशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक पंजीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे–आर्डर जो सचिव, एम0डी0डी0ए0 के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता,म0दे0वि0प्रा0 के नाम बन्धक होगी, को निविदा शर्तो के अनुसार अन्य अभिलेखो (तकनीकी बिड) के साथ उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति तकनीकी बिड के साथ दिनांक 10.04.2026 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राधिकरण के अभियन्त्रण अनुभाग में जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक उक्त अभिलेख जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नही किया जायेगा। कार्य का विस्तृत विवरण/बी0ओ0क्यू0/शर्ते बैबसाईट पर उपलब्ध है। अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र, जी0 पी0 डब्लू0–9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या 1197/II (2)/07–75(सामान्य)/II दिनांक 24–2–2014 एवं अन्य के अनुसार होगी जी0एस0टी0 नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की बैधता 60 दिन मान्य रहेगी।

| कमांक | कार्य का नाम | अनु0 लागत (लाख में) | धरोहर राशि (रू0 में) | निविदा मूल्य (रू0 में) | समय अवधि (माह में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऋषिकेश विधान सभा के अर्न्तगत प0 ललीत मोहन शर्मा डिग्री कालेज की बाउन्डरीवाल पर म्यूरल का कार्य। | 255.95 | 5,12,000.00 | 5,900.00 | 06 |

**अन्य नियम एवं शर्ते**

1. जिन ठेकेदारों/फर्मो को पूर्व से प्राधिकरण कें किसी भी अनुभाग में किसी भी प्रकार के 02 विकास कार्य आवंटित हुए हो, वह कार्य अनुबन्ध की प्रक्रिया में हो अथवा गतिमान हो, वह ठेकेदार/फर्म उन 02 कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त ही निविदा में भाग ले पायेगा।
2. एक फर्म/ठेकेदार को एक बार में 02 ही कार्य आवंटित किये जायेगें। 02 कार्य आवंटित होने के उपरान्त वह ठेकेदार आवंटित 02 कार्यो को पूर्ण करने के उपरान्त ही आगे निविदा में भाग लेगा।
3. किसी भी फर्म/ठेकेदार की 02 निविदा खुल जाने के उपरान्त यदि उस ठेकेदार की अन्य कार्यो में निविदा पायी जाती है तो उसे सम्मिलित नही किया जायेगा।

4. uktenders.gov.in ,एवं mddaonline.in की बैबसाईट व दैनिक समाचार पर विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात प्राधिकरण में यदि कोई फर्म पंजीकृत होता है तो वह फर्म उपरोक्त कार्यो में प्रतिभाग नहीं कर पायेगा।

5. **निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑनलाईन निविदा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है :–**

- निविदा वैधता के सम्बन्ध मे, सत्यता और शुद्धता के सम्बन्ध में, लिटिगेशन की सूचना के सम्बन्ध में, निविदा समिति के निर्णय/नो क्लेम के सम्बन्ध में, No Dues के सम्बन्ध में, रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर, एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड़ हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रत्येक ठेकेदार को प्राधिकरण में आवांटित कार्यो/निर्माणाधीन कार्यो अथवा वर्तमान में कोई कार्य आवांटित न होने/निर्माणाधीन न होने का उल्लेख उक्त शपथ पत्र में करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र में गलत सूचना दिये जाने पर निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

6. उत्तराखण्ड़ शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2) 17.20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी जमा करनी होगी।
7. प्राधिकरण को बिना कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. ई–निविदा में प्रतिभाग करने में दूरसंचार एवं निविदा को बेवसाईट पर तकनीकी खराबी आदि से निविदादाता को होने वाली कठिनाइयों हेतु प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
9. कार्य पूर्ण करने के उपरान्त डी0एल0पी0 की गणना कार्य की प्रकृति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग में लागू नियमो के अनुसार होगी।
10. शासनसदेश संख्या–306433/2025 XXVII(9)/02/ अधिप्राप्ति/20204 ई0प्रत्रा0 संख्या 76643 दिनांक 13.06.2025 के क्रम में कार्यालय आदेश दिनांक 03.01.2026 के अनुपालन में निविदा में वही पंजीकृत ठेकेदार भाग लेगा जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

**प्रतिलिपिः–**

1–सचिव,/वित्त नियन्त्रक/मुख्य अभियन्ता म0दे0वि0प्राधि0देहरादून ।
2–प्राधिकरण/नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डो पर चस्पा हेतु।
3–नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आशय से प्रेषित कि वे रोस्टर के अनुसार 02 दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
4–आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5–प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
6–सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।

अधिशासी अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।